

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षा स्था.3-4/2019/ 16916

भोपाल, दिनांक 26/6/19

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश ।

विषय:-जाति प्रमाण पत्र एवं e-KYC के कारण नवीन शिक्षक संवर्ग में संविलियन न होने के संबंध में दिशा-निर्देश ।

अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में संविलियन की प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अध्यापकों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्तियां प्राप्त की गई हैं, परन्तु उनके द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्मित जाति प्रमाण पत्र प्रारूप एक में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ -3-13/2004/आ.प्र.एक, दिनांक 11 जुलाई 2005 की कण्डिका 3.4 में स्पष्ट प्रावधानित है कि "आवेदक को आरक्षण की सुविधा उसी राज्य से प्राप्त होगी, जिस राज्य से आवेदक का मूल रूप से संबंध है।" अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरणों में आवेदक अथवा आवेदक के पालक यदि वर्ष 1950 की स्थिति में एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रकरण में वर्ष 1984 की स्थिति में मध्यप्रदेश के निवासी हैं, तो ही उन्हें संबंधित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रारूप एक में जारी किया जा सकता है एवं यही जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश की शासकीय सेवाओं के लिए मान्य होगा ।

3. आपके जिले में जिन अध्यापकों का संविलियन उपरोक्तानुसार वैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक संवर्ग में नहीं हो सका है, उन अध्यापकों की नियुक्ति एवं जाति प्रमाण पत्र की जांच कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करें ।

4. ऐसे प्रकरण, जिनमें शिक्षा कर्मी/संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति राज्य विभाजन के पूर्व हुई है एवं डिजीटल जाति प्रमाण पत्र राज्य विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया है, में प्राथमिक शिक्षक के संविलियन आदेश जिला स्तर से, माध्यमिक शिक्षक के संभाग स्तर से एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के मुख्यालय स्तर से जारी होंगे । इसके लिए सुसंगत अभिलेख

संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित जिला कार्यालय की होगी। ऐसे निराकृत प्रकरणों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगी।

5. ऐसे प्रकरण, जिनमें e-KYC के माध्यम से सत्यापन न होने के कारण पंजीयन नहीं हो पा रहा है, में बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

6. बिन्दु क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार संविलियन आदेश जारी कर कोषालय में IFMIS में एम्प्लॉई कोड जारी करने की कार्यवाही संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा जिला कोषालय में सम्पर्क कर की जायेगी।

Dipali Danday
आयुक्त

आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षा स्था.3-4/2019/ 16417

भोपाल, दिनांक 28/6/19

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय।
2. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
4. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

M
आयुक्त

आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश